Security Regulations

<u>उपद्रवी अथवा हानि पहुंचाने वाले यात्री</u>

हानि पहुंचाने वाले यात्री – वह यात्री जो एयरपोर्ट में अथवा विमान में यात्रा के दौरान आचरण संबंधी नियमों का पालन नहीं करते हैं अथवा एयरपोर्ट स्टाफ अथवा क्रू सदस्यों के निर्देशों का अनुसरण नहीं करते हैं तथा एयरपोर्ट अथवा विमान में यात्रा के दौरान शालीनता अथवा अनुशासन को भंग करते हैं।

उपद्रवी अथवा हानि पहुंचाने वाला व्यवहार

1. उड़ान से पूर्व उपद्रवी व्यवहार:

यदि उड़ान से पूर्व किसी यात्री का उपद्रवी अथवा हानि पहुंचाने वाला व्यवहार देखने में आता है तो कृपया ध्यान रखें कि ऐसे यात्रियों का वहन करने से इंकार किया जा सकता है।

2. उड़ान के दौरान उपद्रवी व्यवहार:

यदि ऐसा व्यवहार उड़ान के दौरान देखने में आता है तो कृपया ध्यान रखें कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विमान के मार्ग में परिवर्तन कर आकस्मिक लैंडिंग की जा सकती है तथा प्राधिकारी उड़ान में आ सकते हैं तथा उपद्रवी तथा हानि पहुंचाने वाले व्यवहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है/जुर्माना लगाया जा सकता है/अभियोग तथा/अथवा मुकदमा चलाया जा सकता है।

- उपर्युक्त स्थिति से बचने के लिए सभी यात्रियों से अनुरोध है कि:
- क्रू सदस्यों के निर्देशों का तत्परता से अनुपालन करें;
- अपने क्रू सदस्यों एवं सहयात्रियों का सम्मान करें;
- सुरक्षित तथा उचित व्यवहार करें;
- विमान तथा इसमें बैठे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालने से बचें।

अन्यथा वायुयान नियम 1937 के नियम 22, 23 तथा 29 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।